रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2002.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 26 अगस्त, 2002/4 भाद्रपद, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

शिमला, 17 अगस्त, 2002

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0-6/2002-1550.—एतद्द्वारा श्री चेत राम, उप प्रधान, ग्राम पंचायत दत्त नगर, विकास खण्ड रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) का ध्यान हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (छ) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्नत है:—

कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा, "यदि वह पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकारी या सहकारण सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है"

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद "सेवा" या 'नियोजन" के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, आकस्मिक, दैनिक या संविदा पर नियुक्त, रखे गए या नियोजित व्यक्ति हैं ।

1819-राजपत्र/2002-26-8-2002—1,349. मूल्य : एक रुपया ।

क्योंकि सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं, शिमला से उनके पत्र संख्या 5-124/97-2594, दिनांक 9-8-2002 द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार श्री चेत राम, ग्राम पंचायत दत्त नगर के उप प्रधान पद पर रहते हुए दी बकरोली, सहकारी उपभोक्ता भण्डार में भी बतौर सचिव एवं विक्रेता के पद पर कार्य कर रहे हैं, जिस कारण उक्त श्री चेत राम, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (छ) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत दत्त नगर में उप प्रधान पद पर बने रहने के लिए निरर्हित पाए गए हैं।

अतः मैं, पी0सी0 कटोच, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री चेत राम, उप प्रधान, ग्राम पंचायत दत्त नगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) को उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि वह इस पत्र की प्राप्ति के 16 दिनों के भीतर-भीतर अपना उत्तर लिखित रूप में अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें उक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान अनुसार उनके पद से हटा कर ग्राम पंचायत दत्त नगर के उप प्रधान पद को रिक्त घोषित कर दिया जाए। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उनके विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार एक तरफा कार्रवाई अमल में लाकर ग्राम पंचायत दत्त नगर का उप प्रधान पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा।

शिमला, 17 अगस्त, 2002

संख्या पी0सी0एच0-एस0एम 0एल0-6/2002-1554.—एतद्द्वारा श्री सुन्दर सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत चण्डी बाण्डा, विकास खण्ड रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (छ) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्नत: है :—

> कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा, "यदि वह पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है"।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद "सेवा" या "नियोजन" के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंश- कालिक, आकस्मिक, दैनिक या संविदा पर नियुक्त, रखे गये या नियोजित व्यक्ति हैं।

क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर से उनके पत्र संख्या 1929 दिनांक 24-7-2002 तथा सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं, शिमला से उनके पत्र संख्या 6-124/97-2594 दिनांक 9-8-2002 द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार श्री सुन्दर सिंह, ग्राम पंचायत चण्डी बाण्डा, के उप-प्रधान पद पर रहते हुए दी चण्डी सहकारी उपभोक्ता भण्डार, सीझकोरी में भी बतौर सैल्जमैन के पद पर कार्य कर रहे हैं, जिस कारण उक्त श्री सुन्दर सिंह, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (छ) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत चण्डी बाण्डा में उप-प्रधान पद पर बने रहने के लिए निरर्हित पाये गये हैं।

अतः मैं, पी0 सी0 कटोच उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 (1) (2) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री सुन्दर सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत चण्डी बाण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) को उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि वह इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना उत्तर लिखित रूप में अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अधो-हस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें उक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान अनुसार उनके पद से हटा कर ग्राम पंचायत चण्डी बाण्डा के उप-प्रधान पद को रिक्त घोषित कर दिया जाए। उन का उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उनके विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार एक तरफा कार्रवाई अमल में लाकर ग्राम पंचायत चण्डी बाण्डा का उप-प्रधान पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा।

शिमला, 17 अगस्त, 2002

संख्या पी0सी0एच0-एम0एम0एल0-6/2002-1546.—एतद्द्वारा श्री तुला राम, सदस्य, ग्राम पंचायत त्यावल-ज्यूरी, विकास खण्ड रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (छ) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्नत: है:—

कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिये निरर्हित होगा, "यदि वह पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है"।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिये पद "सेवा" या "नियोजन" के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, आकस्मिक, दैनिक या संविदा पर नियुक्त, रखे गए या नियोजित व्यक्ति हैं।

क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर से उनके पत्र संख्या 8222 दिनांक 20-3-2002 तथा सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं, शिमला से उनके पत्र संख्या 5-124/97-2594, दिनांक 9-8-2002 द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार श्री तुला राम, ग्राम पंचायत त्यावल ज्यूरी में सदस्य पद पर रहते हुए दी मतलूज फल एवं सब्जी उत्पादन सहकारी विपणन विधाएं में भी बतौर सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं, जिस कारण उक्त श्री तुला राम, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (छ) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत त्यावल ज्यूरी में सदस्य पद पर बने रहने के लिये निरर्हित पाये गये हैं।

अत: मैं, पी0 सी0 कटोच, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (2) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा श्री तुला राम, सदस्य, ग्राम पंचायत त्यावल ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) को उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि वह इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना उत्तर लिखित रूप में अथवा व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें उक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान अनुसार उनके पद से हटा कर ग्राम पंचायत त्यावल ज्यूरी के सदस्य पद को रिक्त घोषित कर दिया जाये। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उनके विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार एक तरफा कार्रवाई अमल में लाकर ग्राम पंचायत त्यावल ज्यूरी के वार्ड संख्या 3 से सदस्य का पद रिक्त घोषित कर दिया जायेगा।

शिमला, 17 अगस्त, 2002

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0-6/2002-1542.—एतद्द्वारा श्री हरि दास राठौर, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत झाखड़ी, विकास खण्ड रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का ध्यान हिमाचच प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (छ) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्नत: है :—

कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा, "यदि वह पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है"।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद "सेवा" या "नियोजन" के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, दैनिक या संविदा पर नियुक्त, रखे गए या नियोजित व्यक्ति हैं।

क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर से उनके पत्र संख्या 1920, दिनांक 24-7-2002 तथा सहायक पंजीयक, सहकारी सेवाएं, शिमला से उनके पत्र संख्या 6-124/97-2594, दिनांक 9-8-2002 द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार श्री हरि दास राठौर, ग्राम पंचायत झाखड़ी के उप-प्रधान पद पर रहते हुए भी नाथपा झाखड़ी विस्थापित सहकारी उपभोक्ता भण्डार, झाखड़ी में भी बतौर सचिव एवं विक्रेता के पद पर कार्य कर रहे हैं, जिस कारण उक्त श्री हरि दास राठौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (छ) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत झाखड़ी में उप-प्रधान पद पर बने रहने के लिए निरर्हित पाये गये हैं।

अतः मैं, पी० सी० कटोच, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1)(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री हरि दास राठौर, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत झाखड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि वह इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना उत्तर लिखित रूप में अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें उक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान अनुसार उनके पद से हटाकार ग्राम पंचायत झाखड़ी के उप-प्रधान पद को रिक्त घोषित कर दिया जाए। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उनके विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार एक तरफा कार्रवाई अमल में लाकर ग्राम पंचायत झाखड़ी का उप-प्रधान पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा।

पी० सी० कटोच,
उपायुक्त शिमला,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित